

3 each

आदेश

दिनांक 4-0-17

दिनांक 12/12/03

प्रति,

अनुमंडल वंडाधिकारी, सदर, राँची।

श्रेयस,

की असावना तबक नकल,
तबका तबका पंजापकारा, राँची।

विषय:-

वाद संख्या-2200/2003 में तबकावर के रूप में नियुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संघ में सूचित करना है कि वाद संख्या-2200/2003 अंतर्गत व.प्र.सं. की धारा-146 में अधोदस्तादारी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.12.2003 के आलोक में आपको डी.ए.भी.पब्लिक स्कूल,पूर्वा का रिसोवर नियुक्त किया जाता है।आप तत्काल विद्यालय पर अपना कब्जा लें, तत्पश्चात अगले आ तक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करेंगे तथा इसके परिसम्पत्तों को देख-रेख करेंगे तथा अभिभावकों के साथ से 5 या 7 अभिभावकों की कमेटी बना ले यह भी निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर आप विद्यालय का अकिसण व ले।अकिसण के क्रम में अगर राशिका का दुत्पयोग या गवन का कोई मामला बने तो उससे ताल संघीयत व्यवस्थाओं पर आवश्यक जानूना कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा। मुलम प्रसंग के लिए आदेश का प्राप्त संभव है।

12-12-2003

अनुमंडल वंडाधिकारी, सदर, राँची